

## भारतवर्ष मे महिला सशक्तिकरण: दशा एवं दिशा

प्रो. राजेश कुमार पाण्डेय\*

### सार

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भारत वर्ष विश्व के देशों मे अग्रणी रहा है। हमारी साज्ञा संस्कृति ही हमारी पहचान रही है हमारा देश आर्थिक राजनैतिक एवं सामाजिक विकास की दिशा मे तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। किन्तु हमारे देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली मात्र शक्ति के अधिकारों की संरक्षा एवं सुरक्षा एवं आत्म सम्मान के प्रति कितने संवेदन शील हैं? यह विचारणीय प्रश्न है वस्तुतः सामाजिक संरचना के केन्द्र मे रहने वाली नारी सदियों से सत्ता की लालसा रखने वाले पुरुष वर्ग के शोषण का शिकार रही है। सम्पूर्ण विश्व मे नारी सशक्तिकरण हेतु नारी आन्दोलनों की महती भूमिका रही है भारत मे नव जागरण का आरम्भ उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध को माना जाता है। भारत मे महिलाओं को आज सभी क्षेत्रों मे वैधानिक रूप मे समान अधिकार प्राप्त है किन्तु संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने हेतु आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

**शब्दकोश:** सत्तात्मक, साज्ञा संस्कृति, अधोपतन, सशक्तिकरण।

### प्रस्तावना

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भारत वर्ष विश्व के देशों मे अग्रणी रहा है। हमारी साज्ञा संस्कृति ही हमारी पहचान रही है हमारा देश आर्थिक राजनैतिक एवं सामाजिक विकास की दिशा मे तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। सैन्य शक्ति के तौर पर भी हम नित नूतन उँचाइयों को छू रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व मे हमारी पहचान एक उभरते हुए विकसित देश के रूप मे होने लगी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर आजादी का अम्रत महोत्सव मनाने जा रहे हैं।

किन्तु हमारे देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली मात्र शक्ति के अधिकारों की संरक्षा एवं सुरक्षा एवं आत्म सम्मान के प्रति कितने संवेदन शील हैं? यह विचारणीय प्रश्न है। हमारे देश मे जहाँ नारियों को देवी स्वरूपा माना जा है और यह कहा जाता है कि यह नारयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता अर्थात् जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। डॉ अम्बेडकर का यह कथन कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे मे जानना है तो उस समाज मे स्त्रियों की दशा का अध्ययन आवश्यक होगा किसी भी समाज की प्रगति का आकलन नारी शक्ति की दशा एवं दिशा के अध्ययन से ही सम्भव हो सकता है। समाज की आधी आबादी की उपेक्षा उस समाज के अधोपतन का कारण होती है।

\* वाणिज्य संकाय, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

**वस्तुतः सामाजिक संरचना के केन्द्र मे रहने वाली नारी सदियों से सत्ता की लालसा रखने वाले पुरुष वर्ग के शोषण का शिकार रही है। नारी जाति को अबला एवं दोयम दर्जे के रूप मे स्थापित करने का कुचक सदियों से रचा जा रहा है। किन्तु शिक्षा सामाजिक जागरूकता एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता कतिपय ऐसे तत्व हैं जिनके माध्यम से नारी सशक्तिकरण को एक नया आयाम मिल रहा है।**

वास्तविक अर्थों मे भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व पित्र सत्तात्मक समाज के ढाँचे मे ढला हुआ है सामाजिक संरचना के केन्द्र मे रहने वाले पुरुष प्रधान समाज मे निर्णयन का अधिकार पुरुष वर्ग के पास ही रहा है। पुरुष वर्ग को चुनौती देना सहज नहीं है ओर न इसकी आवश्यकता ही है। महिला सशक्तिकरण के लिए पित्र सत्तात्मक समाज को मात्र सत्तात्मक समाज मे बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों खासी व कुछ अन्य जनजातियों मे मात्र सत्तात्मक समाज की व्यवस्था है। किन्तु उस समाज मे भी महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। परिवार का भरण पोषण ही उनकी नियति बन चुकी है विश्व की कतिपय जनजातियों जैसे चीन की मोसुओं, च्युगुयाना की नागोविसी जनजाति मात्र सत्तात्मक है। यहाँ महिलाएं राजनीति अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक निर्णयों मे अग्रणी भूमिका निभाती हैं। स्वस्थ समाज की अवधारणा ऐसी सामाजिक संरचना मे निहित होती है जहाँ पुरुषों एवं महिलाओं को समान अधिकार एवं अवसर की समानता संविधान एवं समाज दोनों द्वारा पोषित हो।

सम्पूर्ण विश्व मे नारी सशक्तिकरण हेतु नारी आन्दोलनो की महती भूमिका रही है। इन आन्दोलनो का आरम्भ उन्नीसवीं सदी माना जाता है इसका सूत्रपात पश्चिमी देशों मे हुआ। पश्चिमके अनेकों देश इस आन्दोलन मे सहभागी बने। नारी आन्दोलनो के उपरान्त ही नारी सशक्तीकरण की अवधारणा दुनिया के समक्ष प्रमुखता से आई। इसलिए नारी सशक्तीकरण को समझने के लिए नारी आन्दोलनो को समझना भी आवश्यक है। **वस्तुतः नारी आन्दोलनो की शुरूआत समाज द्वारा उनकी उपेक्षा एवं उन्हे हीन एवं कमजोर समझने की प्रवृत्ति के साथ जाग्रत हुई।** इसी काल मे नारीवाद जैसा शब्द भी चलन मे आया। इसके पीछे पुरुष प्रधान समाज मे नारी की प्रताड़ना एवं शोषण के साथ पित्रसत्तात्मक समाज मे नारी को हीन दर्जा दान किया जाना रहा है। पुरुष समाज ही नारी के लिए जीवन जीने के नियम कार्य व्यवहार एवं स्वतंत्रता की सीमा रेखा निर्धारित करता है। समाज स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व को नकारता है। नारी आन्दोलन पुरुष का नहीं अपितु पित्रसत्तात्मक विचार का विरोध करता है। इस आन्दोलन की मूल अवधारणा के पीछे नारी को पुरुष के समान सम्मान अधिकार व अवसरों की समानता मे निहित है। नारी आन्दोलन लैंगिक असमानता के स्थान पर इस अवधारणा की पोषक है कि नारी भी मनुष्य है मनुष्य होने के साथ ही वह दुनिया की आधी आबादी है। स्ट्रिं के स्जन मे नारी का योगदान पुरुष से कमतर नहीं है बल्कि अधिक ही है। नारी स्जन की मूलाधार होने के साथ साथ उसकी पोषक भी है।

नारी आन्दोलन का आरम्भिक चरण उन्नीसवीं सदी का उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के आरम्भ का है। अमेरिका के शहरी उदारवादी एवं औद्योगिक परिवेश मे महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस आन्दोलन का दूसरा चरणसाठ के दशक से माना जा सकता है। इस दौर से यह जानने का यत्न किया गया कि कानून एवं वास्तविक असमानताएँ परस्पर सम्बन्धित हैं एवं इन्हें दूर करने के लिए जन जागरण की आवश्यकता है। आन्दोलन के तीसरे चरण का आविर्भाव नब्बे के दशक मे हुआ। इसमे दूसरे चरण मे दी गई नारीत्व की परिभाषा को चुनौती दी गई। वैश्विक परिपेक्ष्य मे जिस प्रकार नारी वाद को देखा जा रहा था उसी कम मे भारत मे भी महिलाओं की स्थिति को लेकर अनवरत समाज सुधार के व्यापक प्रयत्न हो रहे थे। किन्तु उसका स्वरूप पश्चिम के स्वरूप से भिन्न था। पश्चिम मे अपेक्षा कत अधिक खुलापन एवं स्वतंत्र व्यक्तित्व की झलक देखने को मिली। जब कि भारत मे भारतीय संस्कृति एवं सनातन के आलोक मे सीमित स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। पश्चिम मे नारी की स्वतंत्रता पर पश्चिमी औद्योगिकरण का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित हुआ।

भारत मे नव जागरण का आरम्भ उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध को माना जाता है। नारी सशक्तीकरण एवं उत्थान का कम समाज सुधार व राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा था। इसमे अंध विश्वासो के विरुद्ध आवाज बाल विवाह सती प्रथा एवं देवदासी प्रथा के खिलाफ आवाज को बुलन्द किया गया। राजाराम

मोहन राय स्वामी विवेकानन्द ईश्वरचन्द्र विद्यासागर सावित्री बाई फूले जैसे समाज सुधारको ने तत्कालीन समाज मे स्त्रियो की समस्याओं को दूर कर उनके लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण एवं उनको सशक्त करने की दिशा मे महत्वपूर्ण कार्य किया।

भारत मे नारी सशक्तिकरण की दिशा मे नारी आन्दोलनो का दूसरा दौर भारत मे गॉधी के आगमन के साथ आरम्भ होता है। यह वह दौर था जब गॉधी के आवाहन पर महिलाए सामाजिक राजनैतिक व स्वतंत्रता आन्दोलन मे सक्रिय रूप से सहभागिता दर्ज करा रही थी यही वह दौर था जब 1917 मे भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। इस समय गॉधी व अच्छेड़कर द्वारा महिलाओं को समाज की मुख्य धारा मे लाने का अनवरत प्रयास किया गया। महात्मा गॉधी पर्दा प्रथा, बाल विवाह दहेज प्रथा, उन्मूलन व विधवाओं की समस्याओ तथा छुआछूत के निवारण की बात कर रहे थे। दूसरी ओर डॉ अच्छेड़कर मताधिकार लैंगिक समानता एवं उच्च नीच जात पात छुआछूत इत्यादि के लिए काम कर रहे थे।

वर्तमान समय मे भारत नारी सशक्तिकरण के तीसरे दौर मे है यह दौर महिलाओ के सामाजिक राजनैतिक आधिक जीवन मे समानता से जुड़ा हुआ है। अन्य देशोंकी भौति भारत मे भी महिला सशक्तिकरण की दिशा मे नारी वादी आन्दोलनो की महती भूमिका रही है। वर्तमान समयमे अनेक क्षेत्रो मे महलाओ के सशक्त होने के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। महिलाए शिक्षा राजनीति उद्योग विज्ञान तकनीक व अन्य अनेक क्षेत्रो मे पुरुषो के कन्धे से कन्धा मिलाकर सहभागी बन रही हैं सैच्य एवं उद्घयन क्षेत्रमे उनकी भागीदारी निश्चय ही नारी सशक्तिकरण की दिशा मे मील का पत्थर सिद्ध होगी। किन्तु अभी भी चुनौतियाँ कुछ कम नही है। इसके लिए मानवीय चिन्तन के परिष्करण एवं परिमार्जन की आवश्यकता है। नारी उपभोग की वस्तु न होकर समाज के लिए समान उपयोगिता रखने वाली है।

### महिला सशक्तिकरण का वास्तविक स्वरूप

आज सम्पूर्ण विश्व मे नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। क्यों कि किसी भी राष्ट्रके विकास मे नारी की उपेक्षा करके विकास के लक्ष्य को नही प्राप्त किया जा सकता। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च अर्तराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप मे मनाया जाता है। वस्तुतः दिवस मनाने के पीछे मूल भावना यही है कि आज भी नारी निर्बल अशक्त असहाय पराश्रित एवं अबला के विशेषणो से आगे नही बढ़ सकी। दिवस उनके लिए मनाए जाते हैं जो हमारी स्मृतियो से ओझल हो चुके हैं। दिवस विडम्बना है असहाय एवं निर्वलो के लिए शक्तिशाली के लिए नही। मैथिली शरण गुप्त की कतिपय पंक्तियाँ अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी औचल मे है दूध और औचो मे पानी। नारियो की दशा पर प्रकाश डालती है। महिला सशक्तिकरण का आशय केवल घर से बाहर निकल कर नौकरी करने या पुरुषो के कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना भर नही है। सशक्त होने का आशय नारी के निर्णयन मे सहभागिता से है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि वह अपने विषय मे स्वयं निर्णय ले रही है अथवा अन्य पर आश्रित है। वर्तमान समय मे नारी सशक्तिकरण हेतु उनका आर्थिक रूप से सशक्त होना अतीव आवश्यक है। यदि नारी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नही है तो वह कभी भी सशक्त नही हो सकती। इसलिए प्रत्येक नारी का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र होना महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरे शब्दो मे आर्थिक स्वावलम्बन ही नारी सशक्तिकरण का मूलधार है।

भारत मे महिलाओ को आज सभी क्षेत्रो मे वैधानिक रूप मे समान अधिकार प्राप्त है किन्तु संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारो को प्राप्त करने हेतु आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। सामाजिक तौर पर आज भी हमारे समाज का मूल ढाँचा पित्रसत्तात्मक है। समय समय पर खाप पंचायते या इन जैसी अन्य संस्थाएँ महिलाओ के वस्त्र विन्यास उनका रहन सहन निर्धारित करने का प्रयत्न करती रहती हैं। प्रेम प्रसंगो मे तो उत्पीड़न व म्रत्यु दंड तक निर्धारित कर देती है। धार्मिक स्थलो पर महिलाओ के प्रवेश को वर्जित करना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता न होना रात को अकेले घर से बाहर जाने की मनाही लड़को के समान स्वतंत्रता न देकर अनेक बंदिशे लगाना नारी सशक्तिकरण को कमजोर करने की पहल है। सबरी माला व अन्य धार्मिक स्थलो पर प्रतिवंध उनके मौलिक अधिकारो का उल्लंघन है। धर्म व जाति के गठजोड़ रुढ़ि एवं अन्य विश्वास ने महिलाओ का अधिक

शोषण किया है। राजनीति का क्षेत्र प्राचीन काल से वर्तमान तक पुरुषों के एकाधिकार का क्षेत्र रहा है। कभी भी इस क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पाई वस्तुतः राजनीति वह तत्व है जो किसी भी व्यक्ति को सीधे समाज से जोड़ती है। राजनीति किसी महिला को घर की चहार दीवारी से निकलकर समाज को संचालित करने की दिशा प्रदान करती है। विश्व के प्रत्येक भूभाग में प्रायः राजनीतिक चिन्तन के केन्द्र में पुरुषों की ही प्रधानता रही। भारतीय समाज भी इससे अलग नहीं है। हमारे देश में भी प्राचीन काल से चली आ रही पुरुष प्रधान शासन परम्परा अभी भी विद्यमान है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी आबादी के अनुपात में अब भी बहुत कम है। वर्तमान समय में देश की लोक सभा के 542 सांसदों में से केवल 78 महिला सांसद एवं राज्यसभा में 25 महिला सांसद हैं। वर्तमान राष्ट्रपति दूसरी महिला राष्ट्रपति है। जो देश के सर्वोच्च सांविधिक पद पर शोभायमान हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद राष्ट्र पति की तुलना में अधिक शक्ति संम्पन्न माना जाता है। जिस पर केवल एक महिला श्रीमती इन्दिरा गांधी पदारूढ़ रही। वे भी स्वतंत्रता आन्दोलन के अग्रदूत एवं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं जवाहर लाल नेहरू की इकलौती संतान थी। स्वतंत्रता के 75 वर्षों के इतिहास में कोई सामान्य परिवार की महिला देश के सर्वोच्च सत्ता संपन्न पद पर विराजमान नहीं हो सकी। इसी से भारत में नारी सशक्तिकरण के नाम पर राजनीतिक विंतंडावाद की बानरी मिल जाती है।

**वस्तुतः** नारी सशक्तिकरण हेतु महिलाओं के राजनैतिक व सामाजिक उत्थान के पूर्व उनका आर्थिक रूप से सक्षम एवं आत्मनिर्भर होना सबसे बड़ी कसौटी है। जब नारियों आर्थिक रूप से सशक्त सक्षम एवं स्वतंत्र होंगी तभी नारी सशक्तिकरण का सपना साकार हो सकेगा। नारी जब तक अपने खान-पान रहने-सहन सामाजिक सरोकार शिक्षा तथा कर्म क्षेत्र सम्बन्धी निर्णय लेने में स्वयं सक्षम नहीं होगी तब तक नारी सशक्तिकरण की बात करना बेमानी होगी। अब सहज प्रश्न उठता है कि सदियों से पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों ने जिन क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा है क्या सहजता पूर्वक उन क्षेत्रों में नारी के दखल को सहज ही स्वीकार कर लेंगे। शायद नहीं। किन्तु नारियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता ही इसका सरल एवं सर्वोत्तम समाधान हो सकता है। ऐसे अनेक पारिवारिक एवं सामाजिक संदर्भ विद्यमान हैं जिनमें महिला की आर्थिक आत्मनिर्भरता उसके स्वतंत्र चिंतन गरिमामयी जीवन एवं व्यक्तिगत व सामाजिक निर्णयन का आधार बनी। आर्थिक रूप से आत्म निर्भर महिलाएँ परिवार व समाज सम्बन्धी निर्णयन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

पारम्परिक तौर पर भारतीय सामाजिक संरचना में महिलाओं को काम के लिए बाहर निकलना वर्जित था। इनके बाहर निकलने को पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ कर देखा जाता था। कठिपय शहरी संदर्भों को छोड़ कर कमोवेश ग्रामीण समाज में आज भी वही स्थिति है तथाकथित अभिजात्य वर्ग / सर्वण वर्ग में महिलाओं को आज भी पर्दे के पीछे रखा जाता है उनके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होती है । वे घर के किसी पुरुष के साथ ही बाहर जा सकती हैं। किन्तु समाज के निचले वर्ग जिन्हे अनुसूचित जाति जन जाति व पिछड़ा वर्ग के नाम से वर्गीकृत किया गया है। मे अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं वे काम धंधे के सिलसिले में घर से बाहर वेरोक टोक जा सकती है कई परिवारों में महिलाओं की भूमिका घर के मुखिया के रूप में भी देखी जा सकती है। किन्तु उनके शोषण एवं उत्पीड़न के अनेक उदाहरण उस समाज में भी विद्यमान होते हैं। अर्थिक रूप से परिवार पर आश्रित रहने के कारण पारिवारिक व सामाजिक निर्णयन में उनकी भूमिका शून्य होती है। वे आज भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों यथा पिता, भाई, पति या पुत्र पर निर्भर रहा करती है। किन्तु शिक्षा साक्षरता एवं जन जागरण तथा वर्तमान भौतिक परिवेश के कारण आज परिस्थितियाँ बदली है। आज के पढ़े लिखे पेशेवर युवा नौकरी पेशे वाली महिला को अपना जीवन साथी बनाने की चाहत रखने लगे हैं। आज कल आधुनिक पढ़ी लिखी महिलाएँ अपने कैरियर को लेकर लेकर अधिक जागरूक है। आज की लड़कियाँ घरों से बाहर निकल कर उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं प्रवन्धकीय शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में अपने कर स्थापित कर चुकी हैं सरकारी व निजी क्षेत्र में वे समान सेवा शर्तों एवं समान बेतन पर काम कर रही हैं। किन्तु निजी क्षेत्रों में कई बारउन्हे आज भी भेद भाव का सामना करना पड़ता है। जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। फिल्म निर्देशन उद्यमिता एवं कार्पोरेट की मुखिया जैसे पदों पर इक्का दक्का उदाहरण छोड़ कर पुरुषों कर ही वर्चश्व विद्यमान है।

प्राचीन भारत मे नारी शिक्षा व्यवस्था अत्यन्त सुव्यवस्थित थी वैदिक काल मे स्त्री और पुरुष की शिक्षा मे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था वैदिक काल मे विश्रआरा, अपाला, घोषा,, गार्गी, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, सिकता, रत्नावली जैसी अनेकों बिदुपी महिलाएं विद्यमान थीं। किन्तु भारत मे विदेशियों के आगमन के उपरान्त नारी शिक्षा की धार कुन्द पड़ने लगी। विदेशी आकान्ताओं से स्त्रियों के नारीत्व की रक्षा के लिए बाल विवाह, पर्दा प्रथा सती प्रथा, जैसी कुप्रथाओं का उदय हुआ। स्वतंत्रता के उपरान्त भारत वर्ष मे नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, वेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ी लिखी नारी घर की उजियारी इत्यादि नारों से नारी शिक्षा एवं नारी जागरण को नये आयाम मिले। आज के ग्रामीण भारत मे भी बालिकाएं स्कूल जाने लगी हैं बालिका शिक्षा के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालयों की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा समूचे देश मे की गई है। जिसके सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। हमारी बेटियों शिक्षा, चिकित्सा, खेल, लेखन, प्रशासन, सेना, उड्डयन, विज्ञान, प्रबन्धन, इत्यादि अनेकों क्षेत्रों मे अपनी पहचान बना चुकी हैं। भारत सरकार, द्वारा बाल विवाह एवं दहेज प्रथा पर कड़े कानून बनाकर नारी सशक्तिकरण हेतु सकारात्मक पहल की गई है। महिला उत्पीड़न तीन तलाक, कार्य स्थल पर भेदभाव, घरेलू हिंसा, जैसी सामाजिक बुराइयों पर कानून बनाकर सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु ठोस कदम उठाया है। किन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है। ग्रामीण क्षेत्रों मे छुआछूत जातिगत भेदभाव, गरीबी, पिछड़ापन अन्धविश्वास, जैसी बुराइयों अभी भी विद्यमान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों मे आज भी महिला आबादी का बड़ा हिस्सा घरेलू कामकाज तक ही सीमित है। सम्पूर्ण देश मे महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए भी रोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करना होगा। नारी शिक्षा एवं सुरक्षा, रोजगार, अवसरों की समानता, लिंग भेद, उत्पीड़न, बाल विवाह दहेज प्रथा इत्यादि विषयों पर अभी बहुत कुछ करना शेष है। सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक स्वरूप मे अनेक स्थलों पर समानता का व्यवहार एवं पुरुष प्रधान समाज के मानसिक शुद्धीकरण से ही महिला सशक्तिकरण के द्वारा खुल सकेंगे।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शुक्ला डॉ मंजू (2011) महिला साक्षरता एवं सशक्तिकरण भारत प्रकाशन लखनऊ
2. मेनन रितु (2005) कर्मठ महिलाएं नेशनल बंक द्रष्ट इंडिया
3. लता डॉ मंजू (2009) अनुसूचित जाति मे महिला उत्पीड़न अर्जुन पब्लिकेशन दिल्ली
4. गुप्त शरण मैथिली यशोधरा (1933)

